

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म0प्र0)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)**

**दां0प्र0क0-93/08**

**संस्था0दि0 04/03/08**

**फाईल नं. 233504000052008**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----**अभियोजन**

**—: विरुद्ध :-**

सुनिल उर्फ तालन पिता रामसिंह, उम्र 28 वर्ष,  
जाति कोरकू, पेशा- मजदूरी, नि0 जामखोदर, (म0प्र0)

-----**अभियुक्त**

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 13/10/2016 को घोषित)**

1— अभियुक्त सुनिल उर्फ तालन के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 379, 419 के तहत अभियोग है कि दिनांक 29/01/2008 समय करीब 14-30 बजे थाना आमला जिला बैतूल के ग्राम बैलुन्ड तरफ एयरफोर्स डेमोलेशन ग्राउन्ड से 12 कि0मी0 उपर एक प्लास्टिक की बोरी पीले रंग की जिसमें बमों को डिस्पोजल से निकलने वाला जर्मन "नान प्रेस" स्क्रेप के टुकड़े करीब 25 कि0ग्रा0 कीमती ढाई हजार रुपये के भरे थे को अवैध रूप से बिना अनुमति के चोरी किये गये एवं उक्त दिनांक को पुलिस को अपनी पहचान छुपाने संबंधी झूठी बात बताई।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी के0पी0 इन्टर प्राईजेज कंपनी के सुपरवाइजर है। के0पी0 इन्टर प्राईजेज कंपनी ने एयर फोर्स के डेमोलेशन ग्राउन्ड पचामा में स्क्रेप एकत्र करने का ठेका 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 तक लिया है। उसे कंपनी से पचामा में नियुक्त किया है ग्राउन्ड की सुरक्षा का दायित्व भी उसके उपर है। डेमोलेशन ग्राउन्ड पांच कि0मी0 के एरीया में फैला हुआ है उसे सूचना मिल थी कि ग्राम बैलुन्ड की ओर से डेमोलेशन ग्राउन्ड से स्क्रेप चोरी किया जा रहा है। आज वह कंपनी के अन्य कर्मचारी धनीराम और सुदामा यादव को साथ लेकर ग्राउन्ड में गस्त कर रहे थे कि चार व्यक्ति बोरीया लिए मिले जिसे रुकने के लिये आवाज दी, तो चारों बैलुन्ड तरफ भागे उन लोगों ने पीछा किया तो तीन व्यक्ति भाग गये लेकिन एक लडका पत्थरों में ठोकर लगने से गिर गया जिससे उन लोगों ने पकड़ लिया उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सुनिल पुत्र रामसिंह कोरकू उम्र 20 वर्ष नि0 बैलुन्ड का बताया उसके कब्जे की बोरी को चैक किए तो बोरी में करीब 25 किलो स्क्रेप जर्मन भरा था बमों के डिस्पोजल से निकला स्क्रेप है

स्क्रेप करीब 2500/-रुपये कीमत का है। पकड़े गये सुनील तथा उसके द्वारा चोरी कर ले गया।

3- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर जी0एस0 ठाकुर के हस्ताक्षर है। जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 51/08 भा.द.सं धारा-379,419 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 30/01/08 को घटना स्थल का घटना नक्शा मौका प्र0पी0 4 बनाया गया, दिनांक 29/01/08 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 तैयार किया, कार्यालय स्क्रेप कंच जामखोदर का प्रमाण पत्र प्र0पी0 5 तैयार किया, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया, आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4- प्रकरण में धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्त ने अपने सामान्य परीक्षा में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5- -: न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- "क्या दिनांक 29/01/2008 समय करीब 14-30 बजे थाना आमला जिला बैतूल के ग्राम बेलून्ड तरफ एयरफोर्स डेमीलेशन ग्राउन्ड से 12 कि0मी0 उपर एक प्लास्टिक की बोरी पीले रंग की जिसमें बमों को डिस्पोजल से निकलने वाला जर्मन "नान प्रेस" स्क्रेप के टुकड़े करीब 25 कि0ग्रा0 कीमती ढाई हजार रुपये के भरे थे को अवैध रूप से बिना अनुमति के चोरी किये गये?"

2- "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने पुलिस को अपनी पहचान छुपाने संबंधी झूठी बात बताई?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 1, 2 का निराकरण

6- प्रकरण में साक्षी जे0डब्ल्यू0ओ0 एस0के0 सिंह, साक्षी भूपेन्द्रसिंह, साक्षी सुदामा यादव, साक्षी धनीराम की साक्ष्य को अभियोजन ने न्यायालय में पेश नहीं किया है। अभियोजन साक्षी भूपेन्द्रसिंह प्रकरण का फरियादी है जिसकी भी अभियोजन ने न्यायालय में साक्ष्य पेश नहीं की है।

7- अभियोजन साक्षी जी0एस0 ठाकुर (अ.सा.01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 29/01/08 को थाना आमला में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी भूपेन्द्र सिंह राजपूत पिता शेरसिंह राजपूत अपने साथ धनीराम के साथ सुनील पिता रामसिंह कोरकू को नि0 बेलून्ड को हमराह लाकर सुनील द्वारा स्क्रेप चोरी कर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर उसने अपराध क्रं0 51/08 धारा 379 भा0द0वि0 का अपराध पंजीबद्ध किया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके पश्चात् उसने

आरोपी सुनिल पिता रामसिंह कोरकू के कब्जे से साक्षी धनीराम एवं सुदामा यादव के समक्ष एक प्लास्टिक की खाद की पीले कलर की बोरी में रखा जर्मन स्क्रेप वजनी 25 किलो कीमती 2500/-रुपये को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपी सुनिल कोरकू को गिरफ्तार को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर प्र0पी0 3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 30/01/08 को उसके द्वारा घटनास्थल पर फरियादी भूपेन्द्रसिंह राजपूत की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी0 4 है। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8- उसके द्वारा विवेचना के दौरान साक्षी भूपेन्द्रसिंह राजपूत और धनीराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे जिसमें मैंने कुछ जोड़ा व घटाया नहीं था। विवेचना के दौरान आरोपी का नाम पता तशदीक करने पर पता चला था कि आरोपी सुनिल ने अपना नाम पता गलत लिखाया था उसका सही नाम पता ज्ञात किया तो पता चला कि उसका सही नाम तालन पुत्र रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी जामकोदर था। इसके संबंध में उसके द्वारा सरपंच ग्राम कोदर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था जो प्र0पी0 5 है। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

9- इस गवाह के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी सुनिल पिता रामसिंह के कब्जे से साक्षी धनीराम एवं सुदामा यादव के समक्ष प्लास्टिक की बोरी पीले कलर खाद की बोरी में जर्मन स्क्रेप कीमती 2500/-रुपये का जप्त कर जप्ती पत्रक प्र0पी02 बनाया था। किन्तु यह गवाह विवेचना अधिकारी है। किन्तु जप्ती पत्रक प्र0पी02 के स्वतंत्र साक्षी सुनिल की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। उसे अंतिम प्रतिवेदन पर नाम भी अंकित नहीं किया गया है। साथ ही जप्ती पत्रक प्र0पी0 2 के स्वतंत्र साक्षी अदम पता हो चुका है।

10- साथ ही चोरी की विषयवस्तु तब सुसंगत होती है जब धारा-27 के मेमोरेण्डम में की गई संस्वीकृति के आधार पर चोरी की गई हो, जबकि इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा धारा- 27 की मेमोरेण्डम की कार्यवाही नहीं की गई। जब अभियुक्त से धारा 27 का मेमोरेण्डम ही नहीं लिया गया है। ऐसी परिस्थिति में यह तथ्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है कि अभियुक्त के द्वारा एयरफोर्स वेमोलेशन ग्राउन्ड से 12 कि0मी0 उपर एक प्लास्टिक की बोरी जिसमें बमों से निकालने वाला जर्मन "नानप्रेस" स्क्रेप के टुकड़े करीब 25 कि0ग्रा0 कीमत 2500/-रुपये के भरे थे, को अवैध रूप से बिना अनुमति के चोरी किया।

11- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त सुनिल उर्फ तालन का मतदाता परिचय पत्र नहीं देखा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने उसका नाम सही है कि नहीं उसका राशनकार्ड नहीं देखा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त सुनिल का सही नाम है या गलत है उसका जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं देखा था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जो प्र0पी0 5 का सरपंच का प्रमाण पत्र है उक्त प्रमाण पत्र में आवक जावक कं. भी नहीं डला है। आगे इस गवाह

ने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0 4 का जो प्रमाण पत्र है उसमें प्रमाण पत्र बनाया गया हो यह भी नहीं बता सकता। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा सिर्फ सरपंच के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया और उसने उसे अभिलेख में संलग्न किया।

12— आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त प्रमाण पत्र किस पंचों के समक्ष किसके द्वारा लिखा गया है और किसकी हस्तलिपि में है वह नहीं बता सकता। इस प्रकार प्रतिपरीक्षा में इस गवाह के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्त सुनिल के द्वारा पुलिस को उसे पहचान छुपाने संबंधी झूठी बात बताई। क्योंकि इस गवाह के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि आरोपी सुनिल ने अपना नाम पता गलत लिखाया था उसका सही नाम पता ज्ञात किया तो पता चला कि उसका सही नाम तालन पुत्र रामसिंग उम्र 20 वर्ष नि0 जामकोदर था। जब इस गवाह के द्वारा उसका जन्म प्रमाण पत्र और प्र0सपी0 5 का प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया गया व मतदाता परिचय पत्र नहीं देखा गया। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त के द्वारा गलत नाम व पता बताया गया।

13— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने ग्राम बैलून्ड तरफ एयरफोर्स डेमीलेशन ग्राउन्ड से 12 कि0मी0 उपर एक प्लास्टिक की बोरी पीले रंग की जिसमें बमों को डिस्पोजल से निकलने वाला जर्मन "नान प्रेस" स्क्रेप के टुकड़े करीब 25 कि0ग्रा0 कीमती ढाई हजार रुपये के भरे थे को अवैध रूप से बिना अनुमति के चोरी किये गये। यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने पुलिस को अपनी पहचान छुपाने संबंधी झूठी बात बताई। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

14— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने ग्राम बैलून्ड तरफ एयरफोर्स डेमीलेशन ग्राउन्ड से 12 कि0मी0 उपर एक प्लास्टिक की बोरी पीले रंग की जिसमें बमों को डिस्पोजल से निकलने वाला जर्मन "नान प्रेस" स्क्रेप के टुकड़े करीब 25 कि0ग्रा0 कीमती ढाई हजार रुपये के भरे थे को अवैध रूप से बिना अनुमति के चोरी किये गये। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने पुलिस को अपनी पहचान छुपाने संबंधी झूठी बात बताई। इस प्रकार अभियुक्त सुनील उर्फ तालन को भा0द0वि0 की धारा-379, 419 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15— अभियुक्त के धारा-313 द0प्र0स0 के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

16— प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति स्क्रेप के टुकड़े 25 किलो कीमती 2500/-रुपये पेश नहीं की गई है जिसका निराकरण नहीं किया जा रहा है।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित।

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म0प्र0

